न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 86/2018

1 रूड़ाराम पुत्र जुवारिया।
2 नाराण पुत्र जुवारिया।
3 गोपीराम पुत्र जुवारिया।
4 रघुनाथ प्रसाद पुत्र रामूराम जाति जाट निवासीगण ग्राम सामोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 गणपत (मृतक)।
1/1 रामा देवी पत्नी गणपत।
1/2 फूलचन्द पुत्र गणपत।
1/3 राधा पुत्री गणपत।
1/4 सन्तोष पुत्री गणपत।
1/5 सन्तरा पुत्री गणपत।
1/6 मीरा पुत्री गणपत।
1/7 सुमन पुत्री गणपत।
1/8 अनिता पुत्री गणपत समस्त जाति जाट निवासीगण सामोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 ईशरा पुत्र पदमा।
3 भगवाना पुत्र पदमा समस्त जाति जाट निवासीगण सामोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बावड़ी जरिये मैनेजर।
5 पटवारी हल्का ठीकरिया।
6 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि.
सीकर

7 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पलसाना जरिये मैनेजर।
8 केशरमल पुत्र जुवारिया जाति जाट निवासी ग्राम सामोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर प्रार्थना पत्र संख्या 10/2018 बउनवानी गणपत वगैरह बनाम रूड़ाराम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांकित 03.08.2018

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 16.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा संख्या 10/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 03.08.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 2.32 हैक्टेर ग्राम सामोता का बास तहसील खण्डेला में अवस्थित है, जिसके प्रार्थीगण काबिज खातेदार, काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 29/1 रकबा 1.59 हैक्टेयर ग्राम सामोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके 1/2 हिस्सा की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के तथा शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण नम्बर 5 के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 2.32 हैक्टेयर में आवागमन का रास्ता भूमि खसरा नम्बर 29/1 की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित गै.मु. रास्ता जो कि सामोता का बास से गोविन्दपुरा जाता है। उक्त रास्ता से भूमि खसरा नम्बर 29/1 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से पश्चिम सीमा के अन्दर सहारे–सहारे होता हुआ उत्तर में भूमि खसरा नम्बर 7 में जाने का 12 फिट चौड़ा रास्ता है, जिसको नजरी नक्शा में वर्णितानुसार बंरगलाल रंग से दर्शाया गया है जिससे होकर प्रार्थीगण कदीम से आवागमन करते आ रहे है। अपने साधन ट्रेक्टर, ट्राली, जीप लडढ़ा, आदि व कृषि साधन लाते ले जाते है। उक्त प्रस्तावित रास्ता जो कि नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया के अनुसार ही कानूनन 12 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णितानुसार रास्ता से प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7 में आवागमन करते है उक्त रास्ता के अलावा और कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास नही है। उक्त रास्ता अति लघुतम रास्ता है। इसके अलावा कोई दूसरा नजदीकी रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को कई बार रास्ता उपलब्ध करवाने एवं गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कतई इंकार हो गये भविष्य में रास्ता उपलब्ध नही करने की स्थिति पैदा करने पर आमादा है। इसलिये उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मूल प्रार्थना पत्र में अपीलांट की तामील सम्यक नही करवाई गई है सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट चाही गई थी यह मौका रिपोर्ट तहसीलदार के स्थान पर आई.एल.आर ने तैयार की है। जो विधि विरूद्व है। रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट को सुचित नही किया गया। निकटतम रास्ते का तथ्य छुपाने हेतु अन्य खसरा नम्बर को नक्शे में नही दिखाया गया है। आई.एल.आर. की रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड के विपरित है। प्रस्तावित रास्ते पर अपीलांट का मकान है ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील के स्तर पर जब सुनवाई हो रही है तो गुणावगुण पर कार्यवाही होनी चाहिए। नोटिस चस्पान्दगी में गवाह मांगीलाल एक ही है या अलग–अलग इस सन्दर्भ में कोई शपथ पत्र नही दिया गया है। अपीलांट ने निर्माण निर्णय के उपरान्त किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना में तहसील में डी.एल.सी. की दोगुनी राशि जमा करवा दी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार खण्डेला से मौका रिपोर्ट मांगी गई इसके विपरीत मौका रिपोर्ट आई.एल.आर. से तैयार कर भिजवाया जाना प्रकट होता है। मौका रिपोर्ट आई.एल.आर. से क्यों तैयार करवाई गई है इसका कोई समुचित कारण पत्रावली पर नही है। अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय में जारी सम्मन पर गवाह के रूप में मांगीलाल एवं धर्मेन्द्र दो गवाहो के हस्ताक्षर है। सभी समनों पर पर चस्पान्दगी से तामील एवं उक्त दोनों गवाहों के ही हस्ताक्षर होना तामिल पर सन्देह प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील सम्यक नही मानी जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी एव
एडेन राजस्व

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.11.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भ. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर